कटिहार अभियंत्रण महाविद्यालय, कटिहार–854109

पत्रांक–104 दिनांक–04/02/2021

सूचना

दिनांक–18.12.2020 को मुख्य सचिव बिहार पटना के अध्यक्षता में आहुत आपातकालीन प्रबंधन समूह के बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार गृहमंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक–30.09.2020 में निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के आदेश पत्रांक–**34**, दिनांक–**05.01.2021** के आलोक में संस्थान के सभी छात्र–छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि सभी वर्ग कक्षाएँ निम्नलिखित तालिका के अनुसार फिजिकल–मॉड में शुरू की जाएगी।

सेमेस्टर	फिजिकल–मॉड में वर्ग कक्षाएँ शुरू होने की तिथि
प्रथम सेमेस्टर	08.02.2021
तृतीय सेमेस्टर	06.02.2021
पंचम सेमेस्टर	05.02.2021

वितरणः 1. सभी विभागाध्यक्ष, के.ई.सी., कटिहार।
2. सूचना पट्ट, के.ई.सी., कटिहार
3. **Website**, के.ई.सी., कटिहार।

Ranjana 04/02/21

प्राचार्या
कटिहार अभियंत्रण महाविद्यलय,
कटिहार

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक–वि0प्रा0 (II) व^2–02/2012 (पार्ट–1) पटना, दिनांकः–

प्रेषक,

संजीव कुमार, भा0प्र0से0
निदेशक,

सेवा में,

सभी प्राचार्य /प्रभारी प्राचार्य,
राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/
महिला पोलिटेकनिक, बिहार।

विषयः– **कोविड संक्रमण–19 के कारण बंद शिक्षण संस्थानों को खोलने के संबंध में।**

संदर्भ :– शिक्षा विभाग, बिहार का ज्ञापांक आदेश सं0–2169 दिनांकः–24.12.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विभागान्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों/राजकीय पोलिटेकनिक/महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र (संलग्न) में उल्लेखित दिशा–निर्देशो का पूर्णतः पालन करते हुए पठन–पाठन हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

अनु0–यथोक्त्।

विश्वासभाजन

ह0/–
निदेशक,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– वि0प्रा0 (II) व^2–02/2012 (पार्ट–1) 34 पटना, दिनांकः– 05/01/2021

प्रतिलिपिः– कुलसचिव, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, पटना/आई0टी0 मैनेजर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना (ई–मेल करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

05.01.21

निदेशक,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

286

पत्रांक–मा०शि०/स्था० "ख"–171/2016 -2169
बिहार माध्यमिक शिक्षा कार्यालय, बुद्धमार्ग, पटना

प्रेषक–

संजय कुमार, भा०प्र०से०
प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

कुलपति, सभी विश्वविद्यालय, बिहार।
सभी जिला दंडाधिकारी, बिहार।
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक 24.12.20

विषयः– कोविड संक्रमण–19 के कारण बंद विद्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थानों एवं कोचिंग संस्थानों को खोलने के संबंध में।

प्रसंगः– आपदा प्रबंधन विभाग के ज्ञापांक–01/प्र०आ० (कोविड–19)–10/2020 (खण्ड)/4004/आ०प्र०, पटना दिनांक 19.12.2020.

महाशया/महाशय,

उपर्युक्त विषयक दिनांक 18.12.2020 को मुख्य सचिव, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आहुत आपातकालीन प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश दिनांक 30.09.2020 में निर्धारित मानक संचालक प्रक्रिया (SOP) का पालन करते हुए राज्य के सरकारी विद्यालयों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ ही निजी विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज, सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों के खोलने के संबंध में निम्न निर्णय लिया गयाः–

(1) दिनांक 04.01.2021 (सोमवार) से राज्य के सभी सरकारी/निजी विद्यालयों के 9 वीं से 12 वीं कक्षाओं तथा सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के अंतिम वर्ष के कक्षाओं एवं सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को चालू करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें प्रत्येक कक्षा में छात्रों की कुल क्षमता की 50 प्रतिशत उपस्थिति प्रथम दिन रहे तथा शेष 50 प्रतिशत की उपस्थिति दूसरे दिन रहे। इस प्रकार किसी भी कार्य दिवस पर किसी भी कक्षा में कुल क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति नहीं होगी।

(2) दिनांक 18.01.2021 के बाद शेष कक्षाओं को चालू करने का निर्णय विभाग द्वारा स्थिति का मूल्यांकन कर लिया जाएगा।

(3) शिक्षकों को कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु प्रशिक्षण शिक्षा विभाग के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा। इस हेतु निदेश अलग से निर्गत किया जाएगा।

(4) सभी सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों को दो मास्क का वितरण "जीविका" के माध्यम से किया जाएगा।

(5) सभी कोचिंग संस्थानों को Staggering के आधार पर खोलने की सहमति इस शर्त पर देने का निर्णय लिया गया कि वे कोविड–19 के रोकथाम हेतु अपनायी जाने वाली प्रोटोकॉल का प्रस्ताव संबंधित जिला पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSEL), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर विद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों को पुनः खोलने हेतु स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी सावधानी बरतने के लिए निम्न दिशा निदेश का पालन किया जायः–

(A) विद्यालय/उच्च शिक्षण संस्थान/कोचिंग संस्थान एवं उनके छात्रावास को खोलने के पूर्व की तैयारीः–

(1) शिक्षण संस्थान/विद्यालय कैम्पस एवं सभी भवन के कक्षाओं फर्नीचार, उपकरण, स्टेशनरी, भंडारकक्ष, पानी टंकी, किचेन, वाशरूम, प्रयोगशाला, लाईब्रेरी आदि की सफाई एवं विसंक्रमित कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(2) संस्थान/विद्यालय में हाथ सफाई की सुविधा क्रियाशील करना।

(5) नए कक्षा में नामांकन के समय केवल परिवार/अभिभावक को ही रखा जाय, बच्चों को अभिभावक के साथ आने से मुक्त रखा जाय।

(6) यदि संभव हो तो ऑनलाईन नामांकन संचालन करने की व्यवस्था की जाय।

माता–पिता/अभिभावक से सहमति:–

(1) छात्र/छात्राओं के विद्यालय उपस्थिति के पूर्व माता–पिता/ अभिभावक से सहमति लिया जाना चाहिए।

(2) यदि विद्यार्थी परिवार की सहमति से घर से ही अध्ययन करना चाहते हैं तो उन्हें अनुमति देनी होगी।

(3) ऐसे सभी विद्यार्थियों के अध्ययन संबंधी प्रगति का योजनाबद्ध तरीके से अनुश्रवण की व्यवस्था होना चाहिए।

चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करना:–

(1) शैक्षणिक संस्थान/विद्यालय या उसके नजदीक स्थल पर स्वास्थ्य परीक्षक/नर्स /डॉक्टर/कॉउनसेलर की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाय जो छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक स्थिति की जांच हेतु उपलब्ध रहें।

(2) शैक्षणिक संस्थान/विद्यालय के शिक्षक एवं छात्रों के नियमित स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की जाय।

उच्च शैक्षणिक संस्थान/विद्यालय में उपस्थिति एवं अवकाश संबंधी नीति को पुनर्भाषित किया जाय:–

(1) बीमारी संबंधी छुट्टी की नीति को लचीला बनाई जाय और ऐसे आवेदन पर उन्हें घर में रहने की अनुमति दी जाय।

(2) अधिकतम उपस्थिति के लिए पुरस्कार/मानदेय को हतोत्साहित किया जाय।

(3) अकादमिक कैलेन्डर को सभी कक्षाओं से संबंधित परीक्षा के लिए योजनाबद्ध किया जाय।

(4) विद्यालय खुलने के पूर्व सभी विद्यार्थियों को पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाय।

सूचना संकलन :–

(1) सभी छात्र/अभिभावक/माता–पिता से उनके स्वास्थ्य संबंधी स्थिति/अद्यतन यात्रा (अंतराज्यीय/अंतराष्ट्रीय) से संबंधित स्वघोषणा पत्र लिया जाय।

छात्रावास में सुरक्षित आवासन के संबंध में :–

(1) अलग–अलग बेड के लिए अस्थायी पार्टिशन की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय ताकि सामाजिक दूरी का पालन किया जा सके।

(2) छात्रावास में रहने के लिए वैसे छात्रों को प्राथमिकता दी जाय जिनके घर पर ऑनलाईन अध्ययन से संबंधित सुविधा का अभाव हो।

(3) उच्च कक्षा के छात्रों को प्राथमिकता दी जाय।

(4) छात्रावास में रहने के इच्छुक सभी छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी जांच के पश्चात ही अनुमति दी जाय क्योंकि ऐसे छात्र विभिन्न क्षेत्रों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर पहुंचेंगे जिससे संक्रमण की आशंका ज्यादा रहेगी।

(5) छात्रावास में सिर्फ आवश्यक स्टाफ को छोड़कर अन्य के लिए निषिद्ध किया जाय।

(6) मेडिकल टीम के द्वारा छात्रावास के मेंस और किचेन का नियमित निरीक्षण किया जाय।

(7) छात्रावास में वाई–फाई कनेक्शन/केबुल कनेक्शन आदि की भी व्यवस्था सामाजिक दूरी रखते हुए किया जाय।

(4) बैगैर मास्क के किसी को भी बस पर बैठने की अनुमति नहीं दी जाय। बस के सभी खिड़कियों में पर्दा नहीं रखा जाय। सभी खिड़कियां खुली रहनी चाहिए।

(5) वातानुकूलीत बसों के लिए CPWD द्वारा निर्गत गाईड लाईन के अनुसार 24 से 30 डिग्री सेलसीयस एवं सापेक्ष आद्रता 40 से 70 प्रतिशत होनी चाहिए।

(6) विद्यार्थियों को अनावश्यक रूप से सतह छूने से बचने के लिए कहा जाना चाहिए और बस में हेन्ड सेनेटाइजेसन की व्यवस्था होनी चाहिए।

इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश विद्यालय के संबंध में Weblink https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/SOP_Guidelines_for_reopening_schools.pdf पर एवं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के संबंध में Weblink https://www.ugc.ac.in/pdfnews/1360511_UGC-Guidelines-for-Re-opening-of-Universities-and-Colleges.pdf पर देखा जा सकता है।

उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा एवं इसके कार्यान्वयन हेतु संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का सहयोग लिया जाएगा।

विश्वासभाजन

24/12/2020
(संजय कुमार)
प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– मा०शि०/स्था० "ख"–171/2016 2169 पटना, दिनांक 24/12/20

प्रतिलिपि:– सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि अपने स्तर से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को अवगत करायी जाए।

24/12/2020
प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– मा०शि०/स्था० "ख"–171/2016 2169 पटना, दिनांक 24/12/20

प्रतिलिपि:–मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री शिक्षा विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

24/12/2020
प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।